

वकील
अदालत
दफ्तर

श्यामलाल सहस्रक कालवट कोर्ट के (खंडीला)

हुकम या कार्यवाही मय सपुहस्ताक्षर नय
जमना डेरी को. वनाय श्यामलाल को. मु.सं. 134/18

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

03⁰⁴/₁₉

वकुलाम उममपद उप.। वकील नदीगण
ने दौखने कस निवेदन किया कि उकाठ
में नाम का संशोधन किया जाता है जिसके
लिए नदीगण एवं उतिवारीगण के मध्य समझौता
हो चुका है जो पत्रावली में संलग्न है।
उपतः मुताबिक राजनामा दादा डिग्री
फामामा जसे। वकील उतिपत ने वकील
नदीगण के निवेदन पर अनापत्ति जारी
की। पत्रावली अखिरम आदेशार्थ दिनांक
30/05/19 को पेश है।

30⁰⁵/₁₉

वकुलाम उममपद उपास्थित। पूर्व में
वाकपत्र मु. सं. 50/2018 उक्वानी उकाठ
जमना डेरी वनाय श्यामलाल को. में जारी
निर्णय दिनांक 29/05/18, पत्रावली में संलग्न
जमाबंदी, आधार कार्ड, परिवार रेशन कार्ड,
मूल निवास ज्ञाण पत्र, शैक्षणिक उकाठ तालिका
एवं वकुलाम उममपद द्वारा दौखने कस
दी गई दलीलों के आधार पर वकील
नदीगण का निवेदन न्यायहित में स्वीकार
किया जाता है तथा घोषणा इस आशय
की जारी की जाती है कि:-

आदेश

तन ग्राम उदयपुरा तहसील खंडीला जिला
सीकर राज. अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 530 रा

537, 539 ता 547, 552, 553 (काना 11.2.85)
 में 1/2 हिस्सा में वादीगण का इर्ज नाम "जमना
 देवी पत्नी मधुराजसाद, सीताराम, सुरेश पुत्रगण
 मधुराजसाद " के लिये पट "जमना देवी पत्नी
 बन्धाराम, सीताराम, सुरेश पुत्रगण बन्धाराम "
 दुलस्त किया जाता है अर्थात् वादीगण के
 पति / पिता का नाम "मधुराजसाद " के लिये
 पट सही व वास्तविक नाम "बन्धाराम" दुलस्त
 किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रैजिस्ट्रि
 में प्रमल दामद हो। तदनुसार पच्ची डिक्री
 जारी हो। मन्त्राली कैंसल श्यार होकर कन्वा
 ले कम हो तथा बाद तकमील दाखिल रफ्त
 हो। निर्णय छुले न्यायालय में सुनाया गया



सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

20/05/2019

डिग्री मुकदमा इवतदाइ

अंतिम डिग्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जास्ता सीमाना)

अज अदालत न्यायालय सहप्रक कलक्टर फास्ट ट्रेक मुकदमा खंडेला
 व इजाजत श्री महीपाल सिंह

① जमनादेवी * बनाम ① श्यामलाल *
 दावा बाबत चौखण, दुलसी कोर्ट

मुकदमा नं. 138 शान 2018

यह मुकदमा आज चारतो इनाफिरात कतई रुबरु श्री महीपाल सिंह

व हाजिरी श्री भजनाराम गिनजानिव मुकद रुबरु श्री बसन्त

कुमार वर्मा

गिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व दिगरी को

तन ग्राम उदयपुर तहसील खंडेला जिला सीकर राज. अवस्थित कृषि

सूची ख.नं. 530 ता 537, 539 ता 547, 552, 553 कब्जा 11.28 हे.

में 1/2 हिस्सा में वादीगण का दर्ज नाम "जमना देवी पत्नि मधुराजसाद,
 सीतापम, सुरेश पुत्रगण मधुराजसाद" के स्थान पर "जमना देवी पत्नि *"

दिज गुवलिंग बाबत

खर्चा इस मुकदमें के मया सूद नशरह पीरादी ...ना आज की तारीख से

तारीख अदावती तक का अदा करे।

वसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 030 माह 05 शान 2019

काबरी की गई।

मुहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मुद्दाई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सवूत			गहनताना वकील		
गहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			पीरा कामिश्नर		
पीरा कामिश्नर			बाबत इजाराय हुकमनामा		
बाबत इजाराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फ्रीकैट का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

※ पत्नी बन्नाताम

② सीताताम ③ सुरेश पुत्रगण बन्नाताम

समस्त जाति अहीर निवासी उदयपुरा तहसील खण्डेला
जिला सीकर राज.।

- वादीगण

बनाम

※ ② शाबबल पुत्रगण भगवाना

③ चौबूताम ④ मूलचन्द पुत्रगण बीरूताम

⑤ बन्नाताम दत्तकपुत्र मूल पुत्र भगवाना

समस्त जाति अहीर निवासी उदयपुरा तहसील खण्डेला
जिला सीकर राज.।

⑥ भूमिधारी तहसीलदात खण्डेला

- प्रतिवादीगण

※ बन्नाताम, सीताताम, सुरेश पुत्रगण बन्नाताम "दुरुस्त" किया जाता हैं अर्थात् वादीगण के पति/पिता का नाम "मयूरजस" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "बन्नाताम" दुरुस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में समल दामद हो।



30/05/2019
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला